रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2009/माघ 7, 1930

No. 42] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2009/MAGHA 7, 1930

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2009

'7.56 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2014' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

फा. सं. 4(2)-डब्ल्यू एण्ड एम/2008.—भारत सरकार एतद्द्वारा 3,000 करोड़ रुपए (अंकित) की कुल राशि के लिए '7.56 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2014' (जिसे इसमें इसके बाद 'स्टॉक' कहा गया है) की बिक्री (पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है । यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों तथा भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना फा. संख्या 4(13)-डब्ल्यू एण्ड एम/2008, तारीख 8 अक्तूबर, 2008 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी ।

निर्गम की विधि

2. इस स्टॉक की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई-400001 के माध्यम से तारीख 8 अक्तूबर, 2008 की सामान्य अधिसूचना फा. संख्या 4(13)-डब्ल्यू एण्ड एम/2008 के पैरा 5.1 में यथानिर्धारित तरीके से बहुमूल्य नीलामी विधि का प्रयोग करते हुए, मूल्य आधारित नीलामी द्वारा की जाएगी ।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

3. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा ।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

4. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई-400001 द्वारा 30 जनवरी, 2009 को संचालित की जाएगी । बोलियों सहित विधिवत् भरा गया आवेदन-पत्र 30 जनवरी, 2009 को अपराह्न 12.30 बजे तक पूर्वोक्त कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए ।

कब निर्गमित कारोबार

5. यह स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा ।

अवधि

6. यह स्टॉक 3 नवम्बर, 2008 से प्रारम्भ होकर 6 वर्ष की अवधि के लिए होगा । इस स्टॉक की चुकौती 3 नवम्बर, 2014 को सममूल्य पर की जाएगी ।

निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान

7. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट स्थित मुम्बई कार्यालय में 30 जनवरी, 2009 को प्रदर्शित किया जाएगा । सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 2 फरवरी, 2009 अर्थात् पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा । स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित स्टॉक के अंकित मूल्य पर, मूल निर्गम की तारीख से अर्थात् 3 नवम्बर, 2008 से 1 फरवरी, 2009 तक, प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा ।

ब्याज

8. मूल निर्गम की तारीख से स्टॉक के अंकित मूल्य पर 7.56 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान

अर्द्ध-वार्षिक आधार पर 3 मई और 3 नवम्बर को किया जाएगा ।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,

एल. एम. वास, अपर सचिव

अनुबंध

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा स्कीम

I. कार्यक्षेत्र : सरकारी प्रतिभूतियों की व्यापक भागीदारी और खुदरा धारिता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की *चयनित* नीलामियों में "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है । तद्नुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की अप्रतिस्पर्धी बोलियां स्वीकार की जाएंगी । प्रारक्षित राशि अधिसूचित राशि के **अन्तर्गत** होगी ।

II. पात्रता : भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी आधार पर ऐसे निवेशकों के लिए भागीदारी खुली होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं :

1. जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाता (सीए) अथवा सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता नहीं रखते हैं;

   अपवाद : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को उनके सांविधिक दायित्वों के दृष्टिगत इस स्कीम के अधीन शामिल किया जाएगा ।

2. जो प्रति नीलामी दो करोड़ रुपए (अंकित मूल्य) से अनधिक राशि के लिए *एक ही* बोली लगाते हैं;

3. जो यह स्कीम प्रदान करने वाले किसी एक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के माध्यम से अपनी बोली *अप्रत्यक्ष* रूप से प्रस्तुत करते हैं ।

   अपवाद : ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा सहकारी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक में एस.जी.एल. खाता और चालू खाता रखते हैं, अपनी अप्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे ।

III. व्यापकता : उपर्युक्त शर्तों के अधीन "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर फर्मों, कंपनियों, निगमित निकायों, संस्थाओं, भविष्य निधियों, न्यासों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित किसी अन्य कंपनी सहित किसी भी व्यक्ति के लिए भागीदारी खुली है । बोली देने की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए (अंकित मूल्य) और उसके बाद 10,000 रुपए के गुणजों में होगी जैसा अब तक दिनांकित स्टॉक के लिए है ।

IV. अन्य प्रचालनात्मक दिशानिर्देश :

1. खुदरा निवेशक के लिए उस बैंक अथवा प्राथमिक डीलर, जिनके माध्यम से वे भाग लेना चाहते हैं, के पास एक संघटक सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता रखना अनिवार्य नहीं होगा । तथापि, कोई भी निवेशक इस स्कीम के अधीन केवल एक बोली दे सकता है । इस आशय का वचन कि निवेशक केवल एक बोली दे रहा है, बैंक अथवा प्राथमिक डीलर द्वारा प्राप्त किया जाना और रिकार्ड में रखा जाना आवश्यक होगा ।

2. अपने ग्राहकों से प्राप्त पक्के आर्डर के आधार पर प्रत्येक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर एनडीएस के जरिए आवेदन-वार बोलियां प्रस्तुत करेगा । अन्य लोगों (अर्थात् गैर-ग्राहकों) से प्राप्त पक्के आर्डरों को प्राथमिक डीलर कार्यालय में वास्तविक आवेदन प्रपत्रों में प्रस्तुत किया जाए । वास्तविक आवेदन सभी ग्राहकों की समग्र राशि के लिए एक एकल बोली हो सकता है । अलग-अलग ग्राहकों का ब्यौरा यथा-नाम और राशि बोली के अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा ।

3. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर को अप्रतिस्पर्धी खंड के अधीन आबंटन प्रतिलाभ/कीमत की उस भारांशित औसत दर पर होगी, जो प्रतिस्पर्धी बोली देने के आधार पर नीलामी में सामने आएगी । इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बैंक अथवा प्राथमिक डीलर ने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर लिया है या नहीं, निर्गम की तारीख को भुगतान प्राप्त करके बैंक या प्राथमिक डीलर को प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी ।

4. ऐसे मामले में जहां बोली की राशि प्रारक्षित राशि (अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत) से अधिक है यथानुपात आबंटन किया जाएगा । आंशिक आबंटनों के मामले में, यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियों का उचित आबंटन एक पारदर्शी तरीके से करें ।

5. ऐसे मामले में जहां बोली राशि प्रारक्षित राशि से कम हो, कमी को प्रतिस्पर्धी भाग में लिया जाएगा ।

6. प्रतिभूति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल एसजीएल रूप में जारी किया जाएगा । भारतीय रिजर्व बैंक इसे या तो बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के मुख्य एसजीएल खाते अथवा सीएसजीएल खाते में जमा करेगा, जैसाकि उनके द्वारा निर्देश दिया गया है । मुख्य एसजीएल खाते में जमा करने की सुविधा एकमात्र उन निवेशकों की सेवा के प्रयोजनार्थ है जो उनके घटक नहीं हैं । अत: बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों को अप्रतिस्पर्धी बोलियों की निविदा देते समय उनके एसजीएल खाते और सीएसजीएल खाते में जमा होने वाली राशियों (*अंकित मूल्य*) को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा । बाद में निवेशक के अनुरोध पर मुख्य एसजीएल खाते से वास्तविक रूप में की गई सुपुर्दगी स्वीकार्य है ।

7. यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलर का उत्तरदायित्व है कि वह ग्राहक को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करे । असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ग्राहकों को प्रतिभूतियों का

अंतरण निर्गम की तिथि से पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा ।

8. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर अपने ग्राहकों को यह सेवा देने के लिए छह पैसे प्रति सौ रुपए तक दलाली/कमीशन/सेवा प्रभार के रूप में वसूल कर सकते हैं । ऐसी कीमत बिक्री मूल्य में शामिल की जा सकती है या ग्राहकों से अलग से वसूल की जा सकती है । ऐसे मामले में जहां प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूति की निर्गम तिथि के बाद प्रभावी होता हो, बैंक या प्राथमिक डीलर को ग्राहक द्वारा देय प्रतिफल राशि में निर्गम तिथि से उपचित ब्याज शामिल होगा ।

9. प्रतिभूतियों की लागत, उपचित ब्याज जहां भी लागू हो, तथा दलाली/कमीशन/सेवा प्रभारों के लिए ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली, बैंक या प्राथमिक डीलर द्वारा ग्राहक के साथ की गई सहमति के अनुसार तैयार की जाएगी । यह उल्लेखनीय है कि कोई अन्य लागत, जैसे निधिकरण लागत को मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए या ग्राहकों से वसूल नहीं किया जाना चाहिए ।

V. बैंकों और प्राथमिक डीलरों को भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) द्वारा समय-समय पर मांगी गई योजना के तहत संचालनों से संबंधित सूचना निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बैंक को प्रस्तुत करनी होगी ।

VI. ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देश बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन है और तद्नुसार, जब भी आवश्यकता होगी, योजना को संशोधित किया जाएगा ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2009

Auction for Sale (Re-issue) of '7.56 per cent Government Stock, 2014'

F. No. 4(2)-W & M/2008.— Government of India hereby notifies sale (re-issue) of '7.56 per cent Government Stock, 2014' (hereinafter called 'the Stock') for an aggregate amount of Rs. 3,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification') as also the terms and conditions specified in the General Notification F. No. 4 (13)-W&M/2008, dated October 8, 2008 issued by Government of India.

Method of Issue

2. The Stock will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai- 400 001 in the manner as prescribed in paragraph 5.1 of the General Notification F. No. 4 (13)-W&M/2008, dated October 8, 2008 by a price based auction using multiple price auction method.

Allotment to Non-competitive Bidders

3. The Government Stock up to 5 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions as per the enclosed Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities (Annexure).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on January 30, 2009. The application form duly filled in with the bids should be submitted to the aforesaid office on January 30, 2009 by 12.30 P.M.

When Issued Trading

5. The Stock will be eligible for "When Issued" trading in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Tenure

6. The Stock will be of six-year tenure commencing from November 3, 2008. The Stock will be repaid at par on November 3, 2014.

Date of Issue and Payment for the Stock

7. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its Fort, Mumbai Office on January 30, 2009. The payment by successful bidders will be on February 2, 2009, i.e., the date of re-issue. The payment for the Stock will include accrued interest on the nominal value of the Stock allotted in the auction from the date of original issue, i.e., November 3, 2008 to February 1, 2009.

Interest

8. Interest at the rate of 7.56 per cent per annum will accrue on the nominal value of the Stock from the date of original issue and will be paid half yearly on May 3 and November 3.

By Order of the President of India

L. M. VAS, Addl. Secy.

ANNEX

Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities

I. Scope : With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government Securities it is proposed to allow participation on "non-competitive" basis in select auctions of dated Government of India (GoI) securities. Accordingly, non-competitive bids up to 5 per cent of the notified amount will be accepted in the auctions of dated securities. The reserved amount will be within the notified amount.

II. Eligibility : Participation on a non-competitive basis in the auctions of dated GoI Securities will be open to investors who satisfy the following :

1. do not maintain Current Account (CA) or Subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India.

   Exceptions : Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks shall be covered under this Scheme in view of their statutory obligations.

2. make a single bid for an amount not more than Rs. two crore (face value) per auction.

3. submit their bid indirectly through any one bank or PD offering this scheme.

   Exceptions : Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks that maintain SGL account and current account with the Reserve Bank of India shall be eligible to submit their non-competitive bids directly.

III. Coverage : Subject to the conditions mentioned above, participation on "non-competitive" basis is open to any person including firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts, and any other entity as may be prescribed by RBI. The minimum amount for bidding will be Rs. 10,000 (face value) and thereafter in multiples in Rs. 10,000 as hitherto for dated stocks.

IV. Other Operational Guidelines :

1. It will not be mandatory for the retail investor to maintain a Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) account with the bank or PD through whom they wish to participate. However, an investor can make only a single bid under this scheme. An undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to be obtained and kept on record by the bank or PD.

2. Each bank or PD on the basis of firm orders received from their constituents may submit application-wise bids through NDS. The firm orders received from others (i.e. non-constituents) may be submitted in physical application forms to the PDO. The physical application may be a single bid for the aggregate amount of all the customers. Particulars of individual customer viz. name and amount shall be provided as an Annex to the bid.

3. Allotment under the non-competitive segment to the bank or PD will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the bank or PD against payment on the date of issue irrespective of whether the bank or PD has received payment from their clients.

4. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5% of notified amount), pro-*rata* allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.

5. In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion.

6. Security would be issued only in SGL form by RBI. RBI would credit either the main SGL account or the CSGL account of the bank or PD as indicated by them. The facility for affording credit to the main SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents. Therefore, the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the non-competitive bids the amounts (face value) to be credited to their SGL account and the CSGL account. Delivery in physical form from the main SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently.

7. It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients. Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the clients shall be completed within five working days from the date of issue.

8. The bank or PD can recover up to six paise per Rs. 100 as brokerage/commission/service charges for rendering this service to their clients. Such costs may be built into the sale price or recovered separately from the clients. In case the transfer of securities is effected subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the bank or PD would also include accrued interest from the date of issue.

9. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest wherever applicable and brokerage/commission/ service charges may be worked out by the bank or PD as per agreement with the client. It may be noted that no other costs such as funding costs should be built into the price or recovered from the client.

V. Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank.

VI. The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2009

10 वर्षीय सरकारी स्टॉक की बिक्री के लिए नीलामी

फा. सं. 4(2)-डब्ल्यू एण्ड एम/2008 (i).—भारत सरकार एतद्द्वारा 4,000 करोड़ रुपए (अंकित) की कुल राशि के लिए 10 वर्षीय सरकारी स्टॉक (प्रतिभूति) (जिसे इसमें इसके बाद 'स्टॉक' कहा गया है) की बिक्री अधिसूचित करती है । यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों तथा भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना फा. संख्या 4(13)-डब्ल्यू एण्ड एम/2008, तारीख 8 अक्तूबर, 2008 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी ।

निर्गम की विधि

2. इस स्टॉक की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई-400001 के माध्यम से तारीख 8 अक्तूबर, 2008 की सामान्य अधिसूचना फा. संख्या 4(13)-डब्ल्यू एण्ड एम/2008 के पैरा 5.1 में यथानिर्धारित तरीके से बहुमूल्य नीलामी विधि का प्रयोग करते हुए, आय आधारित नीलामी द्वारा की जाएगी ।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

3. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (**अनुबंध**) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा ।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

4. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई-400001 द्वारा 30 जनवरी, 2009 को संचालित की जाएगी । बोलियों सहित विधिवत् भरा गया आवेदन-पत्र 30 जनवरी, 2009 को अपराह्न 12.30 बजे तक पूर्वोक्त कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए ।

कब निर्गमित कारोबार

5. यह स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा ।

अवधि

6. यह स्टॉक दस वर्ष की अवधि के लिए होगा। यह स्टॉक 2 फरवरी, 2009 से प्रारम्भ होगा। इस स्टॉक की चुकौती 2 फरवरी, 2019 को सममूल्य पर की जाएगी ।

निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान

7. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट स्थित मुम्बई कार्यालय में 30 जनवरी, 2009 को प्रदर्शित किया जाएगा । सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 2 फरवरी, 2009 अर्थात् निर्गम की तारीख को किया जाएगा ।

ब्याज

8. प्रतिभूतियों के लिए कूपन दर का निर्धारण नीलामी में निर्धारित परिपक्वता पर उच्चतम आय पर होगा । ब्याज का भुगतान अर्द्ध-वार्षिक आधार पर 2 अगस्त और 2 फरवरी को किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,
एल. एम. वास, अपर सचिव ।

अनुबंध

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा स्कीम

I. कार्यक्षेत्र : सरकारी प्रतिभूतियों की व्यापक भागीदारी और खुदरा धारिता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की चयनित नीलामियों में "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है । तद्नुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की अप्रतिस्पर्धी बोलियाँ स्वीकार की जाएंगी । प्रारक्षित राशि अधिसूचित राशि के अन्तर्गत होगी ।

II. पात्रता : भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी आधार पर ऐसे निवेशकों के लिए भागीदारी खुली होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं :

1. जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाता (सीए) अथवा सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता नहीं रखते हैं;

   अपवाद : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को उनके सांविधिक दायित्वों के दृष्टिगत इस स्कीम के अधीन शामिल किया जाएगा ।

2. जो प्रति नीलामी दो करोड़ रुपए (अंकित मूल्य) से अनधिक राशि के लिए एक ही बोली लगाते हैं;

3. जो यह स्कीम प्रदान करने वाले किसी एक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के माध्यम से अपनी बोली अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं ।

   अपवाद : ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा सहकारी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक में एस.जी.एल. खाता और चालू खाता रखते हैं, अपनी अप्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे ।

III. व्यापकता : उपर्युक्त शर्तों के अधीन "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर फर्मों, कंपनियों, निगमित निकायों, संस्थाओं, भविष्य निधियों, न्यासों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित किसी अन्य कंपनी सहित किसी भी व्यक्ति के लिए भागीदारी खुली है । बोली देने की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए (अंकित मूल्य) और उसके बाद 10,000 रुपए के गुणजों में होगी जैसा अब तक दिनांकित स्टॉक के लिए है ।

IV. अन्य प्रचालनात्मक दिशानिर्देश :

1. खुदरा निवेशक के लिए उस बैंक अथवा प्राथमिक डीलर, जिनके माध्यम से वे भाग लेना चाहते हैं, के पास एक संघटक सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता

रखना अनिवार्य नहीं होगा । तथापि, कोई भी निवेशक इस स्कीम के अधीन केवल एक बोली दे सकता है । इस आशय का वचन कि निवेशक केवल एक बोली दे रहा है, बैंक अथवा प्राथमिक डीलर द्वारा प्राप्त किया जाना और रिकार्ड में रखा जाना आवश्यक होगा ।

2. अपने ग्राहकों से प्राप्त पक्के आर्डर के आधार पर प्रत्येक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर एनडीएस के जरिए आवेदन-वार बोलियां प्रस्तुत करेगा । अन्य लोगों (अर्थात् गैर-ग्राहकों) से प्राप्त पक्के आर्डरों को प्राथमिक डीलर कार्यालय में वास्तविक आवेदन प्रपत्रों में प्रस्तुत किया जाए । वास्तविक आवेदन सभी ग्राहकों की समग्र राशि के लिए एक एकल बोली हो सकता है । अलग-अलग ग्राहकों का ब्यौरा यथा-नाम और राशि बोली के अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा ।

3. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर को अप्रतिस्पर्धी खंड के अधीन आबंटन प्रतिलाभ/कीमत की उस भारांशित औसत दर पर होगी, जो प्रतिस्पर्धी बोली देने के आधार पर नीलामी में सामने आएगी । इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बैंक अथवा प्राथमिक डीलर ने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर लिया है या नहीं, निर्गम की तारीख को भुगतान प्राप्त करके बैंक या प्राथमिक डीलर को प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी ।

4. ऐसे मामले में जहां बोली की राशि प्रारक्षित राशि (अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत) से अधिक है यथानुपात आबंटन किया जाएगा । आंशिक आबंटनों के मामले में, यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियों का उचित आबंटन एक पारदर्शी तरीके से करें ।

5. ऐसे मामले में जहां बोली राशि प्रारक्षित राशि से कम हो, कमी को प्रतिस्पर्धी भाग में लिया जाएगा ।

6. प्रतिभूति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा *केवल* एसजीएल रूप में जारी किया जाएगा । भारतीय रिजर्व बैंक इसे या तो बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के मुख्य एसजीएल खाते अथवा सीएसजीएल खाते में जमा करेगा, जैसाकि उनके द्वारा निर्देश दिया गया है । मुख्य एसजीएल खाते में जमा करने की सुविधा एकमात्र उन निवेशकों की सेवा के प्रयोजनार्थ है जो उनके घटक नहीं हैं । अत: बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों को अप्रतिस्पर्धी बोलियों की निविदा देते समय उनके एसजीएल खाते और सीएसजीएल खाते में जमा होने वाली राशियों (अंकित मूल्य) को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा । बाद में निवेशक के अनुरोध पर मुख्य एसजीएल खाते से वास्तविक रूप में की गई सुपुर्दगी स्वीकार्य है ।

7. यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलर का उत्तरदायित्व है कि वह ग्राहक को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करे । असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ग्राहकों को प्रतिभूतियों का अंतरण निर्गम की तिथि से *पांच* कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा ।

8. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर अपने ग्राहकों को यह सेवा देने के लिए छह पैसे प्रति सौ रुपए तक दलाली/कमीशन/सेवा प्रभार के रूप में वसूल कर सकते हैं । ऐसी कीमत बिक्री मूल्य में शामिल की जा सकती है या ग्राहकों से अलग से वसूल की जा सकती है । ऐसे मामले में जहां प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूति की निर्गम तिथि के बाद प्रभावी होता हो, बैंक या प्राथमिक डीलर को ग्राहक द्वारा देय प्रतिफल राशि में निर्गम तिथि से उपचित ब्याज शामिल होगा ।

9. प्रतिभूतियों की लागत, उपचित ब्याज जहां भी लागू हो, तथा दलाली/कमीशन/सेवा प्रभारों के लिए ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली, बैंक या प्राथमिक डीलर द्वारा ग्राहक के साथ की गई सहमति के अनुसार तैयार की जाएगी । यह उल्लेखनीय है कि कोई अन्य लागत, जैसे निधिकरण लागत को मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए या ग्राहकों से वसूल नहीं किया जाना चाहिए ।

V. बैंकों और प्राथमिक डीलरों को भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) द्वारा समय-समय पर मांगी गई योजना के तहत संचालनों से संबंधित सूचना निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत बैंक को प्रस्तुत करनी होगी ।

VI. ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देश बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन है और तद्नुसार, जब भी आवश्यकता होगी, योजना को संशोधित किया जाएगा ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2009

Auction for Sale of Government Stock of 10 Years

F. No. 4(2)-W & M/2008 (i).— Government of India hereby notifies sale of Government Stock, (securities) of 10-years tenure for an aggregate amount of Rs. 4,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification') as also the terms and conditions specified in the General Notification F. No. 4 (13)-W & M/2008, dated October 8, 2008 issued by Government of India.

Method of Issue

2. The Stock will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai- 400 001 in the manner as prescribed in paragraph 5.1 of the General Notification F. No. 4 (13)-W & M/2008, dated October 8, 2008 by a yield based auction using multiple price auction method.

Allotment to Non-competitive Bidders

3. The Government Stock up to 5% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions as per the enclosed Scheme for

Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities (**Annexure**).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on January 30, 2009. The application form duly filled in with the bids should be submitted to the aforesaid office on January 30, 2009 by 12.30 P.M.

When Issued Trading

5. The Stock will be eligible for "When Issued" trading in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Tenure

6. The Government Stock will be of ten years tenure. The tenure of the Stock will commence from February 2, 2009. The Stock will be repaid at par on 2, February, 2019.

Date of Issue and Payment for the Stock

7. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its Fort, Mumbai Office on January 30, 2009. The payment by successful bidders will be on February 2, 2009, i.e., the date of issue.

Interest

8. The coupon rate for the securities will be set at the cut-off yield to maturity rate decided in the auction. The interest will be payable half-yearly on August 2 and February 2.

By Order of the President of India,

L. M. VAS, Addl. Secy.

ANNEX

Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities

I. Scope : With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government Securities it is proposed to allow participation on "*non-competitive*" basis in *select* auctions of dated Government of India (GOI) securities. Accordingly, non-competitive bids *up to 5 per cent* of the notified amount will be accepted in the auctions of dated securities. The reserved amount will be **within** the notified amount.

II. Eligibility : Participation on a non-competitive basis in the auctions of dated GOI Securities will be open to investors who satisfy the following :

1. do not maintain Current Account (CA) or Subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India.

   Exceptions : Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks shall be covered under this Scheme in view of their statutory obligations.

2. make a 'it' bid for an amount not more than Rs. two crore (face value) per auction.

3. submit their bid *indirectly* through any *one* bank or PD offering this scheme.

   Exceptions : Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks that maintain SGL account and current account with the Reserve Bank of India shall be eligible to submit their non-competitive bids directly.

III. Coverage : Subject to the conditions mentioned above, participation on "non-competitive" basis is open to any person including firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts, and any other entity as may be prescribed by RBI. The minimum amount for bidding will be Rs. 10,000 (face value) and thereafter in multiples in Rs. 10,000 as hitherto for dated stocks.

IV. Other Operational Guidelines :

1. It will *not* be mandatory for the retail investor to maintain a Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) account with the bank or PD through whom they wish to participate. However, an investor can make only a single bid under this scheme. An undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to be obtained and kept on record by the bank or PD.

2. Each bank or PD on the basis of firm orders received from their constituents may submit application-wise bids through NDS. The firm orders received from others (i.e. non-constituents) may be submitted in physical application forms to the PDO. The physical application may be a single bid for the aggregate amount of all the customers. Particulars of individual customer viz. name and amount shall be provided as an Annex to the bid.

3. Allotment under the non-competitive segment to the bank or PD will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the bank or PD against payment on the date of issue irrespective of whether the bank or PD has received payment from their clients.

4. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5% of notified amount), pro-rata allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.

5. In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion.

6. Security would be issued only in SGL form by RBI. RBI would credit either the main SGL account or the CSGL account of the bank or PD as indicated by them. The facility for affording credit to the main SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents. Therefore, the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the non-competitive bids the amounts (face value) to be credited to their SGL account and the CSGL account. Delivery in physical form from the main SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently.

7. It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients. Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the clients shall be completed within five working days from the date of issue.

8. The bank or PD can recover up to six paise per Rs. 100 as brokerage/commission/service charges for rendering this service to their clients. Such costs may be built into the sale price or recovered separately from the clients. In case the transfer of securities is effected subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the bank or PD would also include accrued interest from the date of issue.

9. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest wherever applicable and brokerage/commission/ service charges may be worked out by the bank or PD as per agreement with the client. It may be noted that no other costs such as funding costs should be built into the price or recovered from the client.

V. Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank.

VI. The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2009

'6.83 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2039' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

फा. सं. 4(2)-डब्ल्यू एण्ड एम/2008(ii).—भारत सरकार एतद्द्वारा 3,000 करोड़ रुपए (अंकित) की कुल राशि के लिए '6.43 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2039' (जिसे इसमें इसके बाद 'स्टॉक' कहा गया है) की बिक्री (पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है । यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों तथा भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना फा. संख्या 4(13)-डब्ल्यू एण्ड एम/2008, तारीख 8 अक्तूबर, 2008 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी ।

निर्गम की विधि

2. इस स्टॉक की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई-400001 के माध्यम से तारीख 8 अक्तूबर, 2008 की सामान्य अधिसूचना फा. संख्या 4(13)-डब्ल्यू एण्ड एम/2008 के पैरा 5.1 में यथानिर्धारित तरीके से बहुमूल्य नीलामी विधि का प्रयोग करते हुए, मूल्य आधारित नीलामी द्वारा की जाएगी ।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

3. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा ।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

4. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई-400001 द्वारा 30 जनवरी, 2009 को संचालित की जाएगी । बोलियों सहित विधिवत् भरा गया आवेदन-पत्र 30 जनवरी, 2009 को अपराह्न 12.30 बजे तक पूर्वोक्त कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए ।

कब निर्गमित कारोबार

5. यह स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा ।

अवधि

6. यह स्टॉक 19 जनवरी, 2008 से प्रारम्भ होकर तीस वर्ष की अवधि के लिए होगा । इस स्टॉक की चुकौती 19 जनवरी, 2039 को सममूल्य पर की जाएगी ।

निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान

7. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट स्थित मुम्बई कार्यालय में 30 जनवरी, 2009 को प्रदर्शित किया जाएगा । सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 2 फरवरी, 2009 अर्थात् पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा । स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित स्टॉक के अंकित मूल्य पर, मूल निर्गम तारीख से अर्थात् 19 जनवरी, 2009 से 1 फरवरी, 2009 तक, प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा ।

ब्याज

8. मूल निर्गम की तारीख से स्टॉक के अंकित मूल्य पर 6.83 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्द्ध-वार्षिक आधार पर 19 जुलाई और 19 जनवरी को किया जाएगा ।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,

एल. एम. वास, अपर सचिव

अनुबंध

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा स्कीम

I. कार्यक्षेत्र : सरकारी प्रतिभूतियों की व्यापक भागीदारी और खुदरा धारिता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की चयनित नीलामियों में "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है । तद्नुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की अप्रतिस्पर्धी बोलियां स्वीकार की जाएंगी । प्रारक्षित राशि अधिसूचित राशि के अन्तर्गत होगी ।

II. पात्रता : भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी आधार पर ऐसे निवेशकों के लिए भागीदारी खुली होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं :

1. जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाता (सीए) अथवा सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता नहीं रखते हैं;

   अपवाद : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को उनके सांविधिक दायित्वों के दृष्टिगत इस स्कीम के अधीन शामिल किया जाएगा ।

2. जो प्रति नीलामी दो करोड़ रुपए (अंकित मूल्य) से अनधिक राशि के लिए एक ही बोली लगाते हैं;

3. जो यह स्कीम प्रदान करने वाले किसी एक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के माध्यम से अपनी बोली अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं ।

   अपवाद : ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा सहकारी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक में एस.जी.एल. खाता और चालू खाता रखते हैं, अपनी अप्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे ।

III. व्यापकता : उपर्युक्त शर्तों के अधीन "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर फर्मों, कंपनियों, निगमित निकायों, संस्थाओं, भविष्य निधियों, न्यासों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित किसी अन्य कंपनी सहित किसी भी व्यक्ति के लिए भागीदारी खुली है । बोली देने की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए (अंकित मूल्य) और उसके बाद 10,000 रुपए के गुणजों में होगी जैसा अब तक दिनांकित स्टॉक के लिए है ।

IV. अन्य प्रचालनात्मक दिशानिर्देश :

1. खुदरा निवेशक के लिए उस बैंक अथवा प्राथमिक डीलर, जिनके माध्यम से वे भाग लेना चाहते हैं, के पास एक संघटक सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता रखना अनिवार्य नहीं होगा । तथापि, कोई भी निवेशक इस स्कीम के अधीन केवल एक बोली दे सकता है । इस आशय का वचन कि निवेशक केवल एक बोली दे रहा है, बैंक अथवा प्राथमिक डीलर द्वारा प्राप्त किया जाना और रिकार्ड में रखा जाना आवश्यक होगा ।

2. अपने ग्राहकों से प्राप्त पक्के आर्डर के आधार पर प्रत्येक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर एनडीएस के जरिए आवेदन-वार बोलियां प्रस्तुत करेगा । अन्य लोगों (अर्थात् गैर-ग्राहकों) से प्राप्त पक्के आर्डरों को प्राथमिक डीलर कार्यालय में वास्तविक आवेदन प्रपत्रों में प्रस्तुत किया जाए । वास्तविक आवेदन सभी ग्राहकों की समग्र राशि के लिए एक एकल बोली हो सकता है । अलग-अलग ग्राहकों का ब्यौरा यथा-नाम और राशि बोली के अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा ।

3. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर को अप्रतिस्पर्धी खंड के अधीन आबंटन प्रतिलाभ/कीमत की उस भारांशित औसत दर पर होगी, जो प्रतिस्पर्धी बोली देने के आधार पर नीलामी में सामने आएगी । इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बैंक अथवा प्राथमिक डीलर ने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर लिया है या नहीं, निर्गम की तारीख को भुगतान प्राप्त करके बैंक या प्राथमिक डीलर को प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी ।

4. ऐसे मामले में जहां बोली की राशि प्रारक्षित राशि (अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत) से अधिक है यथानुपात आबंटन किया जाएगा । आंशिक आबंटनों के मामले में, यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियों का उचित आबंटन एक पारदर्शी तरीके से करें ।

5. ऐसे मामले में जहां बोली राशि प्रारक्षित राशि से कम हो, कमी को प्रतिस्पर्धी भाग में लिया जाएगा ।

6. प्रतिभूति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल एसजीएल रूप में जारी किया जाएगा । भारतीय रिजर्व बैंक इसे या तो बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के मुख्य एसजीएल खाते अथवा सीएसजीएल खाते में जमा करेगा, जैसाकि उनके द्वारा निर्देश दिया गया है । मुख्य एसजीएल खाते में जमा करने की सुविधा एकमात्र उन निवेशकों की सेवा के प्रयोजनार्थ है जो उनके घटक नहीं हैं । अत: बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों को अप्रतिस्पर्धी बोलियों की निविदा देते समय उनके एसजीएल खाते और सीएसजीएल खाते में जमा होने वाली राशियों (अंकित मूल्य) को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा । बाद में निवेशक के अनुरोध पर मुख्य एसजीएल खाते से वास्तविक रूप में की गई सुपुर्दगी स्वीकार्य है ।

7. यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलर का उत्तरदायित्व है कि वह ग्राहक को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करे । असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ग्राहकों को प्रतिभूतियों का अंतरण निर्गम की तिथि से पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा ।

8. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर अपने ग्राहकों को यह सेवा देने के लिए छह पैसे प्रति सौ रुपए तक दलाली/कमीशन/सेवा प्रभार के रूप में वसूल कर सकते हैं । ऐसी कीमत बिक्री मूल्य में शामिल की जा सकती है या

ग्राहकों से अलग से वसूल की जा सकती है । ऐसे मामले में जहां प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूति की निर्गम तिथि के बाद प्रभावी होता हो, बैंक या प्राथमिक डीलर को ग्राहक द्वारा देय प्रतिफल राशि में निर्गम तिथि से उपचित ब्याज शामिल होगा ।

9. प्रतिभूतियों की लागत, उपचित ब्याज जहां भी लागू हो, तथा दलाली/कमीशन/सेवा प्रभारों के लिए ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली, बैंक या प्राथमिक डीलर द्वारा ग्राहक के साथ की गई सहमति के अनुसार तैयार की जाएगी । यह उल्लेखनीय है कि कोई अन्य लागत, जैसे निधिकरण लागत को मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए या ग्राहकों से वसूल नहीं किया जाना चाहिए ।

V. बैंकों और प्राथमिक डीलरों को भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) द्वारा समय-समय पर मांगी गई योजना के तहत संचालनों से संबंधित सूचना निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बैंक को प्रस्तुत करनी होगी ।

VI. ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देश बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन है और तद्नुसार, जब भी आवश्यकता होगी, योजना को संशोधित किया जाएगा ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2009

Auction for Sale (Re-issue) of '6.83 per cent Government Stock, 2039'

F. No. 4(2)-W & M/2008(ii).— Government of India hereby notifies sale (re-issue) of '6.83 per cent Government Stock, 2039' (hereinafter called 'the Stock') for an aggregate amount of Rs. 3,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification') as also the terms and conditions specified in the General Notification F. No. 4 (13)-W&M/2008, dated October 8, 2008 issued by Government of India.

Method of Issue

2. The Stock will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai- 400 001 in the manner as prescribed in paragraph 5.1 of the General Notification F. No. 4 (13)-W&M/2008, dated October 8, 2008 by a price based auction using multiple price auction method.

Allotment to Non-competitive Bidders

3. The Government Stock up to 5 per cent of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions as per the enclosed Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities **(Annex).**

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on January 30, 2009. The application form duly filled in with the bids should be submitted to the aforesaid office on January 30, 2009 by 12.30 P.M.

When Issued Trading

5. The Stock will be eligible for "When Issued" trading in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Tenure

6. The Stock will be of thirty-year tenure commencing from Januaary 19, 2008. The Stock will be repaid at par on January 19, 2039.

Date of Issue and Payment for the Stock

7. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its Fort, Mumbai Office on January 30, 2009. The payment by successful bidders will be on February 2, 2009, i.e., the date of re-issue. The payment for the Stock will include accrued interest on the nominal value of the Stock allotted in the auction from the date of original issue i.e., January 19, 2009 to February 1, 2009.

Interest

8. Interest at the rate of 6.83 per cent per annum will accrue on the nominal value of the Stock from the date of original issue and will be paid half yearly on July 19 and January 19.

By Order of the President of India,

L. M. VAS, Addl. Secy.

ANNEX

Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities

I. Scope : With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government Securities it is proposed to allow participation on "non-competitive" basis in select auctions of dated Government of India (GOI) securities. Accordingly, non-competitive bids up to 5 per cent of the notified amount will be accepted in the auctions of dated securities. The reserved amount will be within the notified amount.

II. Eligibility : Participation on a non-competitive basis in the auctions of dated GoI Securities will be open to investors who satisfy the following :

1. do not maintain Current Account (CA) *or* Subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India;

   Exceptions : Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks shall be covered under this Scheme in view of their statutory obligations.

2. make a single bid for an amount not more than Rs. two crore (face value) per auction;
3. submit their bid indirectly through any one bank or PD offering this scheme.

Exceptions : Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks that maintain SGL account and current account with the Reserve Bank of India shall be eligible to submit their non-competitive bids directly.

III. Coverage : Subject to the conditions mentioned above, participation on "non-competitive" basis is open to any person including firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts, and any other entity as may be prescribed by RBI. The minimum amount for bidding will be Rs. 10,000 (face value) and thereafter in multiples in Rs. 10,000 as hitherto for dated stocks.

IV. Other Operational Guidelines :

1. It will *not* be mandatory for the retail investor to maintain a Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) account with the bank or PD through whom they wish to participate. However, an investor can make only a single bid under this scheme. An undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to be obtained and kept on record by the bank or PD.

2. Each bank or PD on the basis of firm orders received from their constituents may submit application-wise bids through NDS. The firm orders received from others (i.e. non-constituents) may be submitted in physical application forms to the PDO. The physical application may be a single bid for the aggregate amount of all the customers. Particulars of individual customer viz. name and amount shall be provided as an Annex to the bid.

3. Allotment under the non-competitive segment to the bank or PD will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the bank or PD against payment on the date of issue irrespective of whether the bank or PD has received payment from their clients.

4. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5% of notified amount), *pro-rata* allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.

5. In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion.

6. Security would be issued *only* in SGL form by RBI. RBI would credit either the main SGL account or the CSGL account of the bank or PD as indicated by them. The facility for affording credit to the main SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents. Therefore, the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the non-competitive bids the amounts *(face value)* to be credited to their SGL account and the CSGL account. Delivery in physical form from the main SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently.

7. It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients. Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the clients shall be completed within *five* working days from the date of issue.

8. The bank or PD can recover up to six paise per Rs. 100 as brokerage/commission/service charges for rendering this service to their clients. Such costs may be built into the sale price or recovered separately from the clients. In case the transfer of securities is effected subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the bank or PD would also include accrued interest from the date of issue.

9. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest wherever applicable and brokerage/commission/ service charges may be worked out by the bank or PD as per agreement with the client. It may be noted that no other costs such as funding costs should be built into the price or recovered from the client.

V. Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank.

VI. The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.